प्रेस-नोट

थाना चिरगांव

दिनांक- 20.10.2024

थाना चिरगाँव एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अवैध शराब बरामद, लहन नष्ट एवं भट्टियों को नष्ट किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन एवं सतत मार्गदर्शन में अवैध शराब निष्कर्षण, विक्री एवं परिवहन के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनाँक 20.10.2024 को थाना चिरगांव पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही में 40 ली. अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर 02 ड्रमों में रखे कुल 400 किग्रा लहन नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त संतरी कबूतरा डेरा पर दी गयी दविश में अवैध शराब निर्माण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली करीब 10 भट्टियों को नष्ट किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.10.2024 को संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर घटनास्थल ग्राम औपारा से सुदूर जंगल में नदी के पास अमर सिंह बेलदार की बोरिंगे के पास थाना चिरगाँव जिला झांसी से 01 नफर अभियुक्त विनोद पाल पुत्र राधेलाल पाल उम्र 38 वर्ष निवासी औपारा थाना चिरगांव जनपद झाँसी को मय 40 लीटर अवैध कच्ची शराब एक प्लास्टिक की सफेद पिपिया व एक अदद स्टील की कलसा भरा हुआ बरामद व उसकी निशादेही पर करीब 400 कि0ग्रा0 लहन (02 ड्रम) को मौके पर नष्ट कराते हुए अभि0 को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0 सं0 331/24 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद पाल पुत्र राधेलाल पाल उम्र 38 वर्ष निवासी औपारा थाना चिरगांव जनपद झाँसी

बरादमगी अभियुक्तगणः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब एक प्लास्टिक की सफेद पिपिया व एक अदद स्टील की कलसा भरा हुआ बरामद व उसकी निशादेही पर करीब 400 कि0ग्रा0 लहन (02 ड्रम)

गिरफ्तार का स्थान व समय- ग्राम औपारा से सुदूर जंगल में नदी के पास अमर सिंह बेलदार की बोरिंगे के पास थाना चिरगाँव जिला झांसी